

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No---

Dated-22: 07.17

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

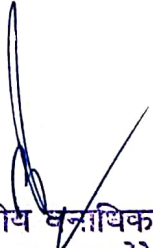
In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department Uttarakhand for Extension of Simli-Choolakot Motor road to Jangalchatti in Block Karanprayag, District Chamoli under C.M. Ghoshna falls within jurisdiction of Randoli, Kheti and Malsi Village in Adibadri tehsil.

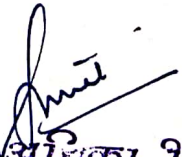
It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 7.087 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23 (A).
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


जिला समाज कल्याण अधिकारी,
चमोली


प्रजातीय वन अधिकारी
ब्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


जिला अधिकारी
Swati S. Bhadoriya
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
DISTRICT CHAMOLI (UK.)**

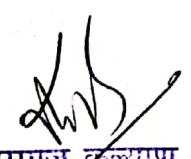
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district (Uttarakhand), constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Swati S. Bhadoriya I.A.S District Magistrate Chamoli (Uttarakhand) on date 22.02.19 at time 4:00 PM at Gopeshwar in which application claiming rights in Village Randoli, Kheti and Malsi of Tehsil Adibadri area measuring 7.087 hect for the Extension of Simli-Choolakot Motor road to Jangalchatti in Block Karanprayag, District Chamoli under C.M. Ghoshna of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Gopeshwar (Chamoli)
Dated: 22.2.19


Swati S. Bhadoriya
District Magistrate
Chairman, District Level
Committee, Chamoli
बिना अधिकारी
चमोली


जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली


उप वन संरक्षक
बड़ीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में
सिमली-बैनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र कर्णप्रयाग
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में
सिमली-बैनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन
भूमि, 0.00 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 2.761 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.761 हे०
वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 28.09.18 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री जी.एच.०. सिन्हा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री जी.एच.०. सिन्हा उपजिलाधिकारी — अध्यक्ष
 - 2- श्री वी.एस.०. परमा वन अधिकारी — सदस्य
 - 3- श्री दा.न.०. बिजौ सहायक समाज कल्याण अधिकारी — सदस्य
 - 4- श्री म.ल.०. कुंठित वनाधिकार समिति सदस्य — सदस्य
 - 5- श्री म.ए.०. सिन्हा वनाधिकार समिति सदस्य — सदस्य
- जिला - चमोली
क्षेत्र पंचायत वार्ड - चिरपाक
वि० स्व० - कर्णप्रयाग (चमोली)
- पत्र पंचायत सदस्य वन अधिकारी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सिमली-बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण परियोजना हेतु 2.761 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, —————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड आदीबद्री परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिमली-बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण परियोजना के निर्माण हेतु 2.761 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में
सिमली-बैनीतान मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ४५
३२६०१

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अनादिबंदी

उपखण्ड आदीबट्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली-बैनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 4.326 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.326 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील आदीबट्टी) की दिनांक ०६/०७/१९ को सम्पन्न बैठक को कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जंगजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जी.आर. विजय उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री श्री ० भा ० मो ० अ ० उपजिलाधिकारी ————— अध्यक्ष
- 2- श्री श्री ० र ० प ० म ० अ ० उपप्रभागीय वनाधिकारी ————— उप जिलाधिकारी वन क्षेत्राधिकारी
- 3- श्री श्री ० न ० ल ० ग ० सहायक समाज कल्याण अधिकारी ————— सहायक जिलाधिकारी
- 4- श्री श्री ० म ० द ० क ० वनाधिकार समिति सदस्य ————— सदस्य
- 5- श्री श्री ० म ० द ० क ० वनाधिकार समिति सदस्य ————— सदस्य

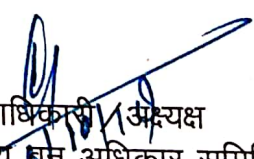
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सिमली-बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण परियोजना हेतु 4.326 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ————— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड आदीबंदी परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिमली-बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण परियोजना के निर्माण हेतु 4.326 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी, अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- आदीबंदी
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी, अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- आदीबंदी
जनपद-चमोली

आज दि. 20-6-18 को ग्रामपंचायत संपन्न श्री.

विजय लाल जी अश्वत्थ में बैठ कर आइए की गई.

निलाल विमान प्रभाव पर ग्राम बागीचे एवं P.W.D. कर्मचारी

के आदि कर्मचारी देहाथ भाग मुख्य मंत्री धोबेगार

अ-हर्गहजान पर चमोड़ी के विद्यालय भाग से कभी प्रयाग

में आदि ली. वीनी राउ मोटर गाड़ी का जंगल चमोड़ी तक

विद्यालय के सामने था के विद्यालय भाग, एवं

आइए से यह विधि विद्यालय के ऊपर गाड़ी

में ग्राम खेती की भूमि का ली है एवं सामने देहाथ

तथा विद्यालय के ऊपर गाड़ी से ग्राम लेती की भूमि

से गाड़ी का विद्यालय के विद्यालय भाग है तो ग्राम सभा

को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है,

विजय लाल

Jaibeer

Birendra Singh

देवप्रिय

प्रेमप्रिय

बलराम सिंह

Purandara

Prasad

दीप



विजय लाल

शंजय सिंह

...

...

...



...

परियोजना का नाम:- मा. मुख्य मंत्री घोषणा के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली-बैनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

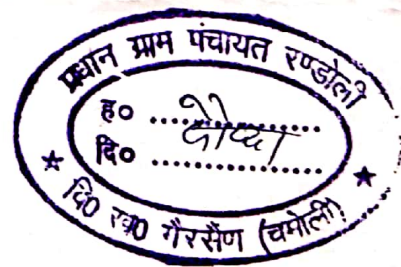
ग्राम पंचायत का नाम:- रण्डोली, खेती, मालसी,,

तहसील - आदीवट्टी, जिला.- चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अर्न्तगत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली-बैनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे. आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे. सिविल सोयम भूमि 0.00 हे., वन पंचायत भूमि 7.087 हे.) अर्थात् कुल 7.087 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रण्डोली, खेती, मालसी द्वारा दिनांक 08-11-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रण्डोली, खेती, मालसी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह./-

ग्राम सचिव.

ग्राम प्रधान- रण्डोली, खेती, मालसी

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक ०८/१/२०१७.....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - रण्डोली, खेती, मालसी

क्रमांक

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

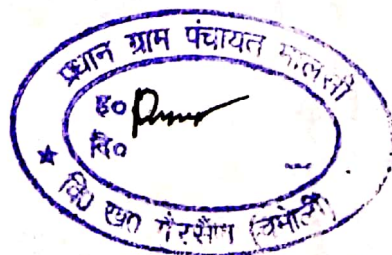
1:- सर्व. श्री यलवन्तारिह

2:- मदनारिह

3:- गोविन्द सिंह

4:- मेहरवान सिंह

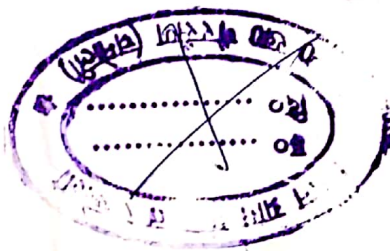
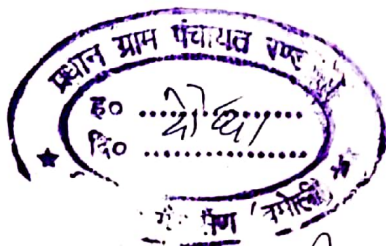
5:- प्रेमचन्द



सुशिला देवी
सदस्य ग्राम पंचायत
वार्ड सं० १० मालसी
विप्लव गैरसैन (त्रमोली)

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कठप्रियांग में सिमली
बेनीताल और मार्ग का जंगल-बही तक विस्तारित 207 निर्माण
हेतु बेनीताल से जंगल-बही तक जो संमन्वयन किया
गया है वह उचित है



- ① वलवन्ताल
- ② मेदुलरि
- ③ ~~सि~~
- ④ ~~सि~~
- ⑤ ~~सि~~

(Jaihoor Singh)

जैहोरा सिंह

महाराजगिरि

सि 207

Ray
Raghuvar
Vinod Singh

मुशीना देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत
घाट सं 10 मासुसी
विधान सभा (चमोली)